वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 मिट्ठु पुत्र श्री हजूरसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ चक 17 एल.एल.डब्ल्यू. खाता 40/37 मे दर्ज 4.216 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्ठी को विलोपित किया जाकर वादी संख्या 1 जसकरणसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 मंगलसिंह पुत्रान श्री मिट्ठुसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ को 3.036 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 1 मिट्ठुसिंह पुत्र श्री हजूरसिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ को 1.180 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 23.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(कपिल यादव)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवम्
एवं उपखण्डाधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

मिलान किया

Scanned with CamScanner